न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ. सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या: 05 / 2019

तारीख रजू 08.06.2019

1. श्रीमती गेंद कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लाट नं0 4 बनेसिंह कॉलोनी के पास गणेशपुरी खातीपुरा जयपुर (राज0)
2. सुरजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लाट नं0 4 बनेसिंह कॉलोनी के पास गणेशपुरी खातीपुरा जयपुर (राज0)
3. युद्धवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी प्लाट नं0 4 बनेसिंह कॉलोनी के पास गणेशपुरी खातीपुरा जयपुर (राज0)
4. श्रीमति शिवराज कंवर पत्नी महावीर सिंह राठौड पुत्री स्वर्गीय श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नं0 17 जोधा भवन, गौरा हाउस, सती माता मन्दिर के पास, रातानाडा कॉलोनी, जोधपुर (राज0)

.....अपीलान्टगण

बनाम

1. भवानी सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुखसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
2. रणप्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुखसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
3. श्रीमती टंवर कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री सुखसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
4. श्रीमती सायर कंवर पुत्री स्वर्गीय माधोसिंह पत्नी श्री हनुमान सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी प्लाट नं0 बी 456 मोहन नगर बी, बीजीएस कॉलोनी कालवी साहब की प्याऊ के पास, जोधपुर (राज0)
5. श्रीमती सुशीला कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्री स्वर्गीय श्रीमती रतन कंवर एवं स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत हाल निवासी मेहताब दास की ढाणी, अल्ल्वास गेट, बालमिक मोहल्ला, भिवानी हरियाणा।
6. श्रीमती बाला कंवर पत्नी महावीर सिंह पुत्री स्वर्गीय श्रीमती रतन कंवर एवं स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत हाल निवासी मेहताब दास की ढाणी, अल्ल्वास गेट, बालमिक मोहल्ला, भिवानी हरियाणा।
7. सुमित्रा कुमारी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती रतन कंवर एवं स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत हाल निवासी मेहताब दास की ढाणी, अल्ल्वास गेट, बालमिक मोहल्ला, भिवानी हरियाणा।
8. सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:54 IST
Reason: SelfAttested

.....रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 20/10/2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा नामान्तरकरण संख्या

स्वत्व की स्थिति स्पष्ट होने तक मृतक माधोसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में उन्हीं के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने एवं नामांतकरण की आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के आदेश फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी। रेस्पोडेन्ट जरिये वकील उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल नामान्तरकरण जिल्द प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि स्वर्गीय माधो सिंह के तीन पुत्र कल्याण सिंह, उम्मेदसिंह, सुखसिंह व पुत्री श्रीमती सायर कंवर पैदा हुए। जिनमें से कल्याण सिंह, सुख सिंह व उम्मेदसिंह का देहान्त हो चुका है। अपीलाण्टान उम्मेदसिंह के पत्नी तथा पुत्र है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 एवं 2 सुखसिंह के पुत्र है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 3 सुख सिंह की पत्नी है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 5 लगायत 7 कल्याण की पुत्रीयॉ है जो उसकी वारिसान है। कल्याण सिंह की पत्नी रतन कॅवर का भी देहान्त हो चुका है माधोसिंह की पुत्री रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 4 अभी जीवित है। माधोसिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3566 रतन कॅवर बेवा कल्याणसिंह, सुखसिंह उम्मेदसिंह पिसरान माधोसिंह के नाम खोला जाकर दिनांक 22.02.96 को तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण में सुखसिंह का नाम गलत दर्ज किया गया था क्योंकि वह छोटू सिंह के गोद चला गया था। छोटूसिंह की मृत्यु पर उनकी कृषि भूमि का नामान्तरकरण बतोर पुत्र सुख सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 3566 में माधोसिंह के स्थान पर रतन कॅवर बेवा कल्याण सिंह एवं उम्मेदसिंह पुत्र माधोसिंह के साथ उसका नाम बतोर वारिस दर्ज किये जाने के कारण उम्मेदसिंह द्वारा अपील उम्मेदसिंह बनाम सुखसिंह उक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस पर इस न्यायालय द्वारा 22.02.2001 को नामान्तरकरण संख्या 3566 को निरस्त करते हुए तहसीलदार मलारना डुॅगर को पत्रावली इन निर्देषों के साथ रिमाण्ड की गई कि स्व. माधोसिंह के वारिसान की पूर्ण जॉच कर एवं सभी वारिसान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर कानूनी बिन्दुओं के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण खोले। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2001 की पालना में तहसीलदार मलारना डुॅगर द्वारा माधोसिंह के विरासत की जॉच कर दिनांक 02.06.2010 को निर्णय पारित किया जिसमें स्व. माधोसिंह के वारिसान श्रीमति रतनकॅवर बेवा कल्याण सिंह, सुख सिंह, उम्मेदसिंह पिसरान माधोसिंह व श्रीमति सायर कॅवर पुत्री माधोसिंह को मानकर उनकी ग्राम मलारना डुॅगर में स्थित भूमि को सभी के नाम बहिस्सा बराबर के रूप में नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के निर्णय 02.06.2010 में उम्मेदसिंह द्वारा एक अपील उक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2012 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 02.06.2010 को यथावत रखते हुए उसके क्रियान्वयन बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखते हुए पत्रावली रिमाण्ड की गई कि जब तक सक्षम न्यायालय वसीयत के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय पारित होकर सुख सिंह की विधिक पात्रता (वसीयत प्राप्तकर्ता/वारिस) के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक आदेश जैरे अपील का कियान्वयन बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखते हुए राजस्व रिकोर्ड की स्थिति यथावत रखी जावे। सुख सिंह ने एक तरफ तो अपने आपको छोटूसिंह का गोद पुत्र बताकर बतौर पुत्र विरासत के आधार पर उनकी कृषि भूमि को अपने नाम करवा लिया तथा दूसरी और उसने मृतक छोटूसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:54 IST
Reason: SelfAttested

जरिये फर्जी वसीयत कराई मिथ्या एवं फर्जी थी उम्मेदसिंह द्वारा सुख सिंह के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश बौंली के न्यायालय में एक वाद पत्र भी प्रस्तुत किया था जो उम्मेदसिंह बनाम सुखसिंह विचाराधीन है। उम्मेसिंह तथा सुखसिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपीलाण्ट एवं रेस्पोण्डेन्ट इस वाद में पैरवी कर रहे है इस दीवानी वाद का विवरण भी अति. जिला कलेक्टर महोदयन में अपने निर्णय दिनांक 13.01.2012 में वर्णित किया है तथा अन्य कई न्यायालयों में भी पक्षकारान के स्वत्व को लेकर विवाद विचाराधीन है। जब नामान्तरकरण की कार्यवाही उक्त न्यायालय के द्वारा 13.01.2012 के अनुसार स्थगित कर दी गई थी तो मृतक माधोसिंह की कृषि भूमि का खोला गया नामान्तरकरण संख्या 958 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस कारण कृषि भूमि को पुनः माधोसिंह के नाम ही दर्ज रखे जाने नोट अंकित रखा जाना चाहिये था। नामान्तरकरण संख्या 958 की जानकारी दिनांक 01.04.19 को जब अपीलाण्ट नंबर 1 पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने गई तो पटवारी हल्का ने उसे इस नामान्तरकरण की जानकारी देते हुए अपीलाण्ट की प्रार्थना पत्र उसी दिन दिनांक 01.04.19 को ही नामान्तरकरण की नकल दी जब जाकर अपीलाण्टान को दिनांक 01.04.19 को ही प्रथम बार इस नामान्तरकरण की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलाण्ट्स को इस नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट नंबर 3 आर्मी में नोकरी करने के कारण अक्सर बाहर रहता है। अपीलाण्ट नंबर 4 अपने ससुराल में रहती आई है। अपीलाण्टान समय समय पर ही कार्यवश एवं शादी एवं अन्य समारोह में जयपुर अपने घर अपीलाण्ट संख्या 2 के पास आते रहते है अपीलाण्ट नंबर 2 भी जयपुर में रहकर रोजगार करता आया है। माधोसिंह जी की सम्पत्ति के सम्बन्ध में चल रहे विवाद में न्यायालयों में पैरवी करने की जिम्मेदारी अपीलाण्ट नंबर 1 ने ही ले रखी है तथा वही सभी मुकदमों सम्भालती तथा पैरवी कराती है अपीलाण्ट नंबर 2 लगायत 4 ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर अपनी माता अपीलाण्ट नंबर 1 को दे दिये अपीलाण्ट नंबर 1 पहले तो बुखार से पीडीत हो गई फिर दिनांक 22.04.19 को सीढीयों से फिसलकर गिर जाने से बायें पैर के पंजे व कमर में मोच आ गई। इस कारण देशी इलाज कराते हुए रेस्ट करना पड़ा और वह अपील पेश करने नहीं आ सकी। दिनांक 04.05.19 को सवाई माधोपुर आई एवं दिनांक 04.05.19 को शनिवार व 05.05.19 को रविवार होने के कारण आज अपील प्रस्तुत की गई। जो देरी बोनाफाईड होने के कारण माफ किये जाने योग्य है तथा धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 ग्राम मलारना डुँगर तहसील मलारनाडूंगर को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01. 2012 के अनुसरण में सिविल न्यायालय से निर्णय होकर स्वत्व की स्थिति स्पष्ट होने तक माधोसिंह जी के नाम दर्ज कृषि भूमि को राजस्व रिकोर्ड में उन्ही के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम करने एवं नामान्तरकरण की आगे कार्यवाही नहीं करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:54 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण रेस्पोण्डेट्स ने वकील अपीलाण्टान की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिये कि जिस नामान्तरकरण संख्या 958 ग्राम मलारनाडूंगर दिनांक 25.06. 2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है वह नामान्तरकरण उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2001 की पालना में तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा निर्णय दिनांक 02.06. 2010 को पारित करते हुए मृतक माधोसिंह के वारिसान रतन कँवर बेवा कल्याण सिंह, सुख सिंह, उम्मेदसिंह पिसरान माधोसिंह, सायर कँवर पुत्री माधोसिंह के नाम माधोसिंह की आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 तस्दीक किया गया है। अपीलाण्टान द्वारा जो अपील तहसीलदार मलारनाडूंगर के निर्णय दिनांक 02.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, में भी उक्त न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.01.2012 को आदेश पारित ...

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अंतिम निर्णय पारित होकर सुख सिंह की विधिक पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक अपील का क्रियान्वयन बाबत कार्यवाही स्थगित रखते हुए राजस्व रिकोर्ड की स्थिति यथावत रखी जावे। उक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2012 के उक्त आदेश के पूर्व ही नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 तस्दीक किया जा चुका था। जिस दिन नामान्तरकरण संख्या 958 तस्दीक किया गया था उस दिन किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था तथा बाद में भी उक्त न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 13.01.2012 को किया गया था, में भी तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 को यथावत रखा गया था तथा नामान्तरकरण संख्या 958 भी तहसीलदार मलारनाडूंगर के आदेश दिनांक 02.06.2010 की पालना में ही तस्दीक किया गया था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 में किसी भी तरह की कोई अनियमितता अथवा गलती नहीं है। उक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2012 में यह भी उल्लेख किया गया था कि वसीयत के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय का निर्णय होकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जावे तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे। छोटूसिंह का सुखसिंह गोदपुत्र नहीं है ना ही सुख सिंह के पक्ष में कोई गोद पत्र छोटूसिंह द्वारा लिखा गया है। वसीयत के सम्बन्ध में उम्मेद सिंह द्वारा सुख सिंह के विरूद्ध दावा निरस्त किये जाने वसीयत पत्र दिनांक 11.12.1967 उप पंजीयक बौंली बहक सुख सिंह पुत्र माधोसिंह निवासी मलारना डूॅगर प्रस्तुत किया था को सक्षम दीवानी न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बौंली द्वारा दिनांक 30.03.2022 को उम्मेद सिंह बनाम सुख सिंह दीवानी वाद संख्या 15/2010 को खारिज किया जा चुका है। इस तरह मृतक माधोसिंह की आराजीयात का नामान्तकरण उसके विधिक वारिसान के नाम जो नामान्तकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 को तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 की पालना में तस्दीक किया गया है वह बिल्कुल सही है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है इस कारण अपीलाण्टान की अपील निरस्त होने योग्य है तथा अपीलाण्टान की अपील मिंयाद बाहर भी है क्योंकि अपीलाण्टान द्वारा नामान्तरकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 के विरूद्ध उक्त अपील दिनांक 06.05.2019 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्टान द्वारा दिनांक 01.04.2019 को नामान्तरकरण की जानकारी होने का तथ्य कतई गलत अंकित किया है जबकि अपीलाण्टान को तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 तथा नामान्तकरण संख्या 958 दिनांक 25.06.2010 की जानकारी आरम्भ से ही रही है कि जो इस बात से सिद्ध है कि आदेश दिनांक 02.06.2010 की अपील पूर्व में ही अपीलाण्ट द्वारा की जा चुकी थी कि जिसमें तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 को उक्त न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया था। ऐसी परिस्थिति में अपीलाण्टान की अपील उक्त आधार पर नितान्त मिंयाद बाहर होने के आधार पर निरस्त होने योग्य है। रेस्पोण्डेन्ट्स बाला देवी पुत्री कल्याण सिंह, सुमित्रा देवी पुत्री कल्याण सिंह, सुशील [illegible] कल्याण सिंह एवं सायर कॅवर पुत्री माधोंसिह, भवानी सिंह पुत्र सुख सिंह तथा [illegible] सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है जिनमें छोटुसिंह के द्वारा सुखसिंह के पक्ष में की गई वसीयत को सही कथन किया गया है। माधोसिंह के वारिसान का भी उल्लेख किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:54 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि कि पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 3566 के विरूद्ध अपील उम्मेदसिंह बनाम सुख सिंह अपील संख्या 168/2000 प्रस्तुत हुई थी जिसमें दिनांक 22.01.2001 को नामान्तरकरण संख्या 3566 को निरस्त करते हुए तहसीलदार मलारनाडूंगर को निर्देशित किया गया था कि स्व. माधोसिंह के वारिसान की पूर्ण जॉच करें एवं सभी वारिसान को सुनवाई का [illegible]
बिन्दुओं के [illegible]

माधोसिंह एवं श्रीमति सायर कॅवर पुत्री माधोंसिह को विधिक वारिसान मानते हुए इनके नाम बहिस्सा बराबर खोलने का आदेश पारित किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 के विरूद्ध उम्मेदसिंह द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2012 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 को यथावत रखा गया तथा कार्यावाही स्थगित रखते हुए पत्रावली रिमाण्ड की गई कि सक्षम न्यायालय में वसीयत के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय पारित होकर सुख सिंह की विधिक पात्रता वसीयत के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होने तक नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित रखते हुए राजस्थ रिकॉर्ड की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है वह नामान्तकरण दिनांक 25.06.2010 को अर्थात इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01.2012 के पूर्व ही तस्दीक किया जा चुका था। रेस्पोण्डेन्ट द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में जो दावा उम्मेदसिंह बनाम सुखसिंह प्रस्तुत किया गया था जिसे सक्षम न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बौंली द्वारा दिनांक 30.03.2022 को खारिज किया जा चुका है। उक्त निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि वसीयत के सम्बन्ध में किए गये दावे का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाकर दावा खारिज किया जा चुका है। अपीलाण्टा द्वारा अपील में सुखसिंह को छोटूसिंह के गोद चले जाने का अंकन किया है किन्तु इसके पक्ष में कोई भी पुख्ता साक्ष्य/सबूत गोदनामा पेश करने में असफल रहे हैं। अपीलाण्टा द्वारा उक्त अपील मिंयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो इस बात से स्पष्ट है कि अपीलाण्टा द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 02.06.2010 के विरूद्ध पूर्व में ही अपील प्रस्तुत की जा चुकी थी तथा उसकी पालना में ही नामान्तकरण तस्दीक किया जा चुका था अपीलाण्टा द्वारा धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.04.2019 को नामान्तकरण की जानकारी होने का तथ्य अंकित किया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है इस कारण अपीलाण्टान का प्रार्थना पत्र धारा 5 मिंयाद अधिनियम भी निरस्त होने योग्य पाया जाता है एवं इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मिंयाद अधिनियम निरस्त किया जाता है। उक्त परिस्थितियों में अपीलाण्टा की अपील में कोई सार नहीं होने के कारण अपीलाण्टा की अपील निरस्त होने योग्य पायी जाती है

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 20/01/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:31:54 IST
Reason: SelfAttested